दिनांक 10.12.2018

स्वच्छ भारत अभियान स्वच्छ भिलाई सुंदर भिलाई

'आयुक्त एस.के. सुंदरानी ने निगम भिलाई के दो कर्मचारियों को कार्य में लापरवाही बरतने के लिए थमाया नोटिस'

भिलाईनगर/ आयुक्त सुंदरानी ने उप अभियंता शशिकांत वर्मा एवं गौतम दामले वाहन चालक को कारण बताओ नोटिस जारी किया है, जिसमें आयुक्त ने उप अभियंता को दिए गए नोटिस में उल्लेख किया है कि वार्ड 28 छावनी में पेयजल आपूर्ति में लगे वाहन क्रमांक सीजी 07 सी 8520 का संधारण किए जाने हेतु मुख्य कार्यालय के वाहन शाखा में दिनांक 20:8: 2018 वाहन को भेजा गया था लेकिन दिनांक से 6.12.2018 तक भी वाहन क्रमांक सीजी 07 सी 8520 वाहन के संधारण के लिए प्रस्ताव तैयार नहीं किया गया और न ही स्वीकृति लिया गया तथा वाहन चालक को दिए गए नोटिस में उल्लेखित है की ट्रक टैंकर के द्वारा पेयजल की आपूर्ति की जा रही थी किंतु वाहन को आपके द्वारा असावधानी पूर्वक चलाने के कारण दुर्घटना हुई इसलिए वाहन के संधारण की आवश्यकता हुई !जो कि कार्य के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता का घोतक है एवं छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम (3) के 1,2,3 के विपरीत है।

आयुक्त सुंदरानी ने उप अभियंता को दिए गए नोटिस में आगे लेख किया है कि पत्र प्राप्ति के तीन दिवस के भीतर कारण बताएं कि वाहन संधारण में विलंब होने के कारण व पेयजल आपूर्ति के लिए एजेंसी से वाहन व्यवस्था कराए जाने में आने वाला व्यय आपसे क्यों न वसूल किया जाए।

दोनों ही कर्मचारियों के विरुद्ध निश्चित समय अवधि मे समाधान कारक उत्तर नहीं प्राप्त होने पर एक पक्षीय कार्यवाही किए जाने का जिक्र किया गया है।

आयुक्त सुंदरानी का कथन है कि जिस प्रकार से पेयजल आपूर्ति बाधित हुई है यदि समय रहते वाहन संधारण कार्य हो जाता तो न हीं उस क्षेत्र के लिए किराए का वाहन पेयजल आपूर्ति के लिए लगाना पड़ता और न ही अनावश्यक रूप से वार्ड के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता इसीलिए आयुक्त ने दोनों ही निगम कर्मचारियों से जवाब मांगा है।

जनसम्पर्क अधिकारी